न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **183/2021** दायर दिनाँक **02.08.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. उमरदीन पुत्र स्व. महमद उम्र 68 वर्ष 2. मोहम्मद सलीम पुत्र स्व. महमद उम्र 61 वर्ष समस्त जाति धोबी मुसलमान निवासीगण रघुनाथपुरा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नाथू पुत्र स्व. हुसैन उम्र 59 वर्ष 2. अयूब पुत्र स्व. हुसैन उम्र 56 वर्ष 3. कमालुदीन पुत्र स्व. हुसैन उम्र 53 वर्ष 4. खेरून पुत्री स्व. हुसैन उम्र 67 वर्ष 5. जुमेला पुत्री स्व. हुसैन उम्र 48 वर्ष 6. रहमद बानो पुत्री स्व. महमद 7. मेहरून बानो पुत्री स्व. महमद 8. अब्दुल कादिर पुत्र स्व.मीराबानो उम्र 33 वर्ष 9. अब्दुल सलाम पुत्र स्व.मीराबानो उम्र 28 वर्ष 10. परवीन पुत्री स्व. मीरा बानो उम्र 36 वर्ष 11. तमन्ना बानो स्व. मीरा बानो उम्र 28 वर्ष 12. नूरजंहा पुत्री स्व. मीरा बानो उम्र 37 वर्ष समस्त जाति धोबी मुसलमान निवासीगण रघुनाथपुरा तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0। 13. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरण सिंह बोहरा वकील वादी।
2. श्री कमल कुमार वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **16.08.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा रघुनाथपुरा पटवारी हल्का पालोट भू.अ.नि. कोलिया में कृषि भूमि खेत खसरा सं0 23 रकबा 2.510 हैक्ट., खसरा सं0 82 रकबा 0.020 हैक्ट0, खसरा सं0 83 रकबा 0.960 हैक्ट0, खसरा सं0 84 रकबा 0.02 हैक्ट0, खसरा सं0 85 रकबा 1.710 हैक्ट0, खसरा सं0 87 रकबा 0.060 हैक्ट., खसरा सं0 88 रकबा 0.020 हैक्ट0 गै.मु.ढाणी, तथा खसरा सं0 89 रकबा 0.020 हैक्ट0, बारानी उत्तम कुल खसरा 08 रकबा 5.320 हैक्ट0 इसके अलावा खसरा सं0 66 रकबा 2.190 हैक्ट0, खसरा सं0 75 रकबा 0.010 हैक्ट0 गैर मु. ढाणी, खसरा सं0 76 रकबा 0.020 हैक्ट0, खसरा सं0 77 रकबा 8.830 हैक्ट0, खसरा सं0 830 व खसरा सं0 272 रकबा 2.010 हैक्ट0, खसरा सं0 276 रकबा 0.46 हैक्ट0, खसरा सं0 290 रकबा 0.090 हैक्ट बारानी प्रथम सरहद कापड़ोद में अवस्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार व काबिज काश्तकार है।

यह है कि वादीगण के पिता स्व0 महमद का देहान्त दिनांक 24.09.2009 ग्राम रघुनाथपुरा में हुआ तथा स्व0 हुसैन [illegible] दिनांक 16.01.2018 को हो चुका है इसी प्रकार [illegible] का देहान्त दिनांक [illegible]8.09.2009 को हो गया था तथा सुबानी की मृत्यु [illegible] जिनके जायज वारिसान पहले से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:13 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि उपरोक्तानुसार वर्णित कृषि भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है इनके अतिरिक्त प्रतिवादीगण 04 ता 12 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक दर्ज है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

परन्तु के काबिज काश्तकार नही होने से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में हटाया जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय हैउक्त पैतृक कब्जाकाश्त की भुमि में वादीगण एवं प्रतिवादी 01 ता 03 संयुक्त खातेदारी में होने से उनका नाम खातेदारी से हटाया जाना न्यायसंगत है, उपरोक्त खसरान् की भुमि में वादीगण की सगी बहने 04 व 05 का नाम वादीगण के निवेदन पर हटाया जाना कानुनन् आवश्यक है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 से 12 का कब्जा काश्त नही होने से इनका नाम भी आपसी सहमति से राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना आवश्यक है व मौजा रघुनाथपुरा व कापड़ोद के खसरान में वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बंटवारा हो चुका पर विधिवत बंटवरा नही हुआ है इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के तहत बंटवारा करवाना लाजमी आया है।

वादी व प्रतिवादी का बंटवारा निम्न प्रकार है–

(क) वादी संख्या 02 मोहम्मद सलीम पुत्र स्व. महमद के हिस्से व बंट में आई भूमि – खसरा 23 रकबा 2.510 हैक्ट0 में से 1.255 हैक्ट0 भूमि पश्चिमी दिशा व खसरा सं0 77 रकबा 8.830 हैक्ट0 में से 4.43 हैक्ट0 में से 1/2 हिस्सा उत्तरी तरफ का संलग्न राजीनामा अनुसार।

(ख) वादी संख्या 01 व वादी संख्या 02 उमरदीन व मोहम्मद सलीम पुत्रगण स्व. महमद के शामलाति बंट में आई भूमि – खसरा सं0 संख्या 272 रकबा 2.010 हैक्ट0, खसरा सं0 276 रकबा 0.46 हैक्ट0 सम्पूर्ण व खसरा सं0 85 रकबा 1.710 हैक्ट0 में से पूर्वी तरफ का 0.65 हैक्ट0, खसरा सं0 83 रकबा 0.960 में से 0.65 हैक्ट0 शामलाति संलग्न राजीनामा अनुसार।

(ग) वादी संख्या 01 उमरदीन पुत्र स्व0 महमद के बंट में आई भूमि – खसरा सं0 432 रकबा 3.150 हैक्ट0 में से पूर्वी दिशा की तरफ 1.575 हैक्ट0, खसरा सं0 77 रकबा 8.830 हैक्ट0 में से 4.43 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी दिशा भूमि संलग्न राजीनामा अनुसार।

(घ) प्रतिवादी संख्या 01 व 02 नाथू व कमालुदीन पुत्र स्व0 हुसैन के हिस्से व बंट में आई भूमि – खसरा सं0 77 रकबा 8.830 हैक्ट0 में से 4.40 हैक्ट0 तथा खसरा सं0 76 रकबा 0.020 हैक्ट0 प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में की भूमि संलग्न राजीनामा अनुसार।

(ड़) प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 नाथू व कमालुदीन व अयूब पुत्र स्व0 हुसैन के हिस्से व बंट में आई भूमि –खसरा सं0 432 रकबा 3.150 हैक्ट0 में से 1. 575 सामलाति पश्चिमी दिशा की तरफ, खसरा संख्या 23 रकबा 2.510 में से पूर्वी दिशा की 1.255 हैक्ट0 सामलाति भूमि तथा खसरा नम्बर 82 रकबा 0.020 हैक्ट0, खसरा सं0 84 रकबा 0.02 हैक्ट0, खसरा सं0 87 रकबा 0.060 हैक्ट0, खसरा सं0 88 रकबा 0.020 हैक्ट0 खसरा सं0 89 रकबा 0.020 हैक्ट0 सामलाति व खसरा सं0 83 व 85 का शोष भाग शामलाति व खसरा सं0 66 रकबा 2.190 हैक्ट0 सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 02 अयूब के हिस्से में संलग्न राजीनामा अनुसार।

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है –

यह है कि वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार कृषि भुमियों का बंटवारा व कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बीच नक्शे में दर्शाये अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर घोषणा खातेदारी में नाम अमल दरामद की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जवें तथा इसी खातदेारी में दर्ज सुबानी का नाम इन्तकाल हो जाने की वजह से नाम हटाया जावें इसी प्रकार स्व. महमद व स्व0 हुसैन की पुत्र व पुत्रियों के वारिसान का नाम प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 12 के नाम वर्तमान [illegible] से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे उनकी जगह [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण 1/3 का नाम बटवारे एवं हिस्से के [illegible] दर्ज किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल [illegible] जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी उमरदीन ने अपना शपथ–पत्र पेश किया। यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति व स्वेच्छा से उक्त राजीनामा किया है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा मौजा रघुनाथपुरा के खेत खसरा सं0 23, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, व वाके मौजा कापड़ोद के खेत खसरा सं0 66, 75, 76, 77, 830, 272, 276, 290 की खातेदारी में से सुबानी का नाम इन्तकाल हो जाने की वजह से नाम हटाया जाता है। व स्व. महमद व स्व0 हुसैन की पुत्रियों के वारिशान का नाम प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 12 के नाम वर्तमान खातेदारी से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जाता है। उनकी जगह दावे में वर्णित वादीगण व प्रतिवादीगण 1/3 का नाम बंटवारें एवं हिस्से के अनुसार दर्ज किया जाता है। वाद में पेश राजीनामा अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। दावा राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 16.08..2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 183/2021 दायर दिनाँक 02.08.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. उमरदीन पुत्र स्व. महमद उम्र 68 वर्ष 2. मोहम्मद सलीम पुत्र स्व. महमद उम्र 61 वर्ष समस्त जाति धोबी मुसलमान निवासीगण रघुनाथपुरा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नाथू पुत्र स्व. हुसैन उम्र 59 वर्ष 2. अयूब पुत्र स्व. हुसैन उम्र 56 वर्ष 3. कमालुदीन पुत्र स्व. हुसैन उम्र 53 वर्ष 4. खेरून पुत्री स्व. हुसैन उम्र 67 वर्ष 5. जुमेला पुत्री स्व. हुसैन उम्र 48 वर्ष 6. रहमद बानो पुत्री स्व. महमद 7. मेहरून बानो पुत्री स्व. महमद 8. अब्दुल कादिर पुत्र स्व.मीराबानो उम्र 33 वर्ष 9. अब्दुल सलाम पुत्र स्व.मीराबानो उम्र 28 वर्ष 10. परवीन पुत्री स्व. मीरा बानो उम्र 36 वर्ष 11. तमन्ना बानो स्व. मीरा बानो उम्र 28 वर्ष 12. नूरजंहा पुत्री स्व. मीरा बानो उम्र 37 वर्ष समस्त जाति धोबी मुसलमान निवासीगण रघुनाथपुरा तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0। 13. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 16.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरण सिंह बोहरा वकील वादी व श्री कमल कुमार वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा मौजा रघुनाथपुरा के खेत खसरा सं0 23, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, व वाके मौजा कापड़ोद के खेत खसरा सं0 66, 75, 76, 77, 830, 272, 276, 290 की खातेदारी में से सुबानी का नाम इन्तकाल हो जाने की वजह से नाम हटाया जाता है। व स्व. महमद व स्व0 हुसैन की पुत्रियों के वारिशान का नाम प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 12 के नाम वर्तमान खातेदारी से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जाता है। उनकी जगह दावे में वर्णित वादीगण व प्रतिवादीगण 1/3 का नाम बंटवारें एवं हिस्से के अनुसार दर्ज किया जाता है। वाद में पेश राजीनामा अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। दावा राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner